न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)

पीठासीन अधिकारी : बलवन्त सिंह लिग्री , आर०ए०एस०

अपील संख्या 15/2018

1– भंवरी देवी पत्नी हंसराज जाति बावरी , निवासी तंवरा , तहसील लाडनूं , जिला नागौर, राजस्थान।

..............अपीलान्ट

बनाम

1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडनूँ जिला नागौर राजस्थान

.........रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

श्री विकास ढोलिया, हाकम अली एवं विकम कुड़ी, अधिवक्तागण , अपीलान्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

अपील विरूद्ध निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 15.03.2017 मिसल संख्या 96/2016 किस्म मुकदमा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 न्यायालय तहसीलदार लाडनूं जिला नागौर [illegible] पीठासीन अधिकारी आदूराम मेघवाल आर.टी.एक्ट द्वारा राज0 [illegible] बनाम भंवरी देवी में पारित किया गया।

निर्णय

दिनांक– 23.07.2018

अपीलान्ट की ओर से अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है :–

1– यह है कि दिनांक 20.12.2016 को प्रत्यर्थीगण संख्या 02 ने एक [illegible] अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम की धारा 91के तहत कार्यवाही करने [illegible] प्रत्यर्थी संख्या 01 के न्यायालय में पेश की जिस पर प्रत्यर्थी संख्या [illegible] न्यायालय में मुकदमा 96/16 अनुवान सरकार जरिये पटवारी हल्का [illegible] बनाम भवंरी देवी किस्म मुकदमा धारा 91 एल.आर. एक्ट 1956 के [illegible] दिनांक 20.12.2016 को अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के विरूद्ध

4

मुकदमा दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया एवम आगामी तारिख पेशी 11.01.2017 को फरमायी गई।

2— यह है कि दिनांक 11.01.2017 को अपीलार्थी को नोटिस नहीं मिलने की वजह से उपस्थित नही हो सका। दिनांक 30.01.2017 को अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री छोगाराम बुरड़क ने वकालत नामा पेश किया । दिनांक 22.02.2017 को अप्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थीनी का जवाब पेश किया । अप्रार्थीनी ने अपने जवाब में जाहिर किया कि प्रार्थी आबादी क्षेत्र में मकानों का निर्माण कर निवास कर रहे है। इसलिए सरकारी भूमि पर अतिक्रमी करार दिया जाना न्यायोचित नहीं है। आपके द्वारा बताई गई मौजा तंवरा की आबादी भूमि है। अप्रार्थीनी के जवाब के संदर्भ में पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक के बयान कलमबद्ध किये गये, जिसके अनुसार अप्रार्थी ने [illegible] 165 सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जो गैर [illegible] पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा पटवारी हल्का [illegible] निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व बयानात का भलीभांति अध्ययन व अवलोकन किया गया । जिससे अप्रार्थी का सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जाना बखूबी साबित होता है। मौजा तंवरा जागीर खसरा 165 रकबा 0.10 बीघा किस्म गैर मुमकिन गौचर पर मकान बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन है जो अतिक्रमण की क्षेणी में आता है। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर उक्त खसरा नम्बर 165 रकबा 0.10 बीघा किस्म गैर मुमकिन गौचर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। अप्रार्थी पर वार्षिक लगान दर 0.55 के 50 गुणा से जुर्माना रुपये 14/— अक्षरे चोदह रुपये कायम किया जाता है। अप्रार्थी से जुर्माना वसूली हेतु पटवारी हल्का [illegible] रूप से बेदखली हेतु भू अभिलेख निरीक्षक एवं मांग कायमी हेतु [illegible] राजस्व लेखाकार कार्यालय हाजा को तहरीर जारी हो।

3—यह है कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.03.2017 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील निम्न आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है :—

—: अपील के आधार :—

(1) यह है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश एवं दण्डादेश दिनांक 15.03.2017 को पारित करने में प्राकृतिक न्याय से सिद्धान्तों की अवहेलना की है। अपीलार्थी को गवाह पेश करने व मौखिक रूपसे सुनने का कोई अवसर नही दिया गया इस कारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश एवं दण्डादेश दिनांक 15.03.2017 अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

अ

2– यह है कि अपीलार्थी द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मामले को कन्टेस्ट करने हेतु अधिवक्ता की नियुक्ति भी की गयी थी एवम अपीलार्थीनी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब भी प्रस्तुत किया गया था उसके बावजूद दिनांक 08.03.2017को व निर्णय के दिन दिनांक 15–03–2017 को अपीलार्थीनी व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति दर्ज की गई जिससे स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया। आदेशिक दिनांक 15.03.2018 से भी प्रमाणित है। उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुये विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित किया है जो अधीन अपास्त किये जाने योग्य है।

3– यह है कि पटवार हल्का द्वारा ग्राम पंचायत सरपंच के दबाव में आकर उक्त कार्यवाही पेश की जबकि उक्त तीनों खसरान् में करीब 166 परिवार अपने–अपने मकान बनाकर निवास करते आ रहे है। इस प्रकार 35 परिवारों के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही कर बेदखल करने की पक्षपात पूर्ण कार्यवाही की है तथा शिकायत कर्ता राजनितिक प्रतिस्पर्दा के तहत कार्यवाही कर अपनी राजनितिक रंजिश निकालने का प्रयास कर रहा है। इस कारण 166 परिवारों में से मात्र 35 परिवारों के विरूद्ध झुठी शिकायत कर कार्यवाही की है जो अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

4– यह है कि अपीलार्थीनी का मकान आबादी भूमि ग्राम तंवरा में बना हुआ है जिसमें अपीलार्थीनी के द्वारा घरेलू लाईट व पानी कनेक्शन ले रखे है तथा सदीन काल से मकान बने हुये है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी आबादी क्षेत्र तंवरा में मकान कर निर्माण कर निवास कर रहे है। जो कभी भी अतिक्रमी नहीं है। उक्त तथ्यो की अनदेखी करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदश पारित किया है जो अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

5 यह है कि उक्त प्रकरण में प्रत्यर्थीगण संख्या 02 की केवल मात्र रिपोर्ट एवं बयान के आधार पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश एवं [illegible] दिनांक 15.03.2017 को पारित फरमाया। इसमें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य का सही विशलेषण [illegible] है इस कारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य [illegible] अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

H

6— यह है कि अपीलार्थी के विरूद्ध खसरा नम्बर 165 रकबा 0.10 बीघा किस्म गैर मुमकिन गौचर पर अतिक्रमी मानकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है अतः योग्य अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

7— यह है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश/दण्डादेश दिनांक 15.03.2017 गुणावगुण के आधार पर पारित किया गया आदेश नही है। इस कारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश/दण्डादेश दिनांक 15.03.2017 को अपास्त फरमाया जावे।

8— यह है कि अपीलार्थीनी की अपील विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनूं जिला नागौर के विरूद्ध है। इस कारण उक्त अपील माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है।

9— यह है कि अपीलार्थीनी को नोटिस मिला तथा अपीलार्थीनी ने उक्त नोटिस का जवाब अपने अधिवक्ता के मार्फत दिया गया था फिर माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थित रहने के बावजूद उक्त आलौच्य आदेश पारित किया है। उक्त आलौच्य आदेश की नकल अपीलार्थी ने दिनांक 23.02.2018 को प्राप्त की इसलिए अपील अन्दर मयाद है।

10— यह है कि अन्य उजरात बर उक्त अर्ज किये जायेगे।

अतः अपीलार्थी की अपील पेश कर माननीय न्यायालय से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना है कि अपीलार्थीनी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश/दण्डादेश दिनांक 15.03.2017 को अपास्त फरमाया जावे एवं विकल्प में अपीलार्थीनी की यह भी प्रार्थना है कि अपीलार्थीनी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान अधीनस्थन न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश/दण्डादेश दिनांक 15.03.2017 को अपास्त फरमाया जाकर इस निर्देश के साथ पत्रावली को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में सुनवाई का, जवाब, व साक्ष्य, दस्तावेज पेश करने का समुचित अवसर देकर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करे।

यह अपील अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास टोलिया द्वारा पेश की गयी। जो दिनांक 07.3.2018 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। तथा अधिनस्थ न्यायालय को रेकर्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधिनस्थ न्यायाल का रिकोर्ड व नोटिस तामिल होकर दिनांक 19.4.2018 को प्राप्त हुवे जो शामिल मिसल

H

किये गये। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड दिनांक 11.5.18 को प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया ।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन व मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट अप्राथीनीं द्वारा ग्राम मौजा तंवरा जागीर के ख0नं0 165 रकबा 0.10 बीघा गैर मु0 गोचर पर मकान बनाकर अतिकमण करने पर अपीलार्थीनी को अतिकमी घोषित कर भोतिक रूप से बेदखल किया गया तथा धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत 14/– रूपये अर्थदण्ड आरोपीत किया गया ।

गौचर की जमीन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आराजी है जिसमें धारा 16 आर.टी.एक्ट के तहत उक्त पर किसी प्रकार के खातेदारी अधीकार प्राप्त नही होते हैं। न ही गोचर भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा आबादी का पटटा जारी किया जा सकता है। अप्रार्थीनी ने स्वयं अपने लिखित जवाब में बताया है कि वह आबादी क्षैत्र में मकान का निर्माण कर निवास कर रही है। पटवारी हल्का तंवरा व भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट में भी अप्रार्थीनी को गै0मु0गोचर भूमि पर अतिकमण करना बताया गया है। बिना पटटे बिना नियमन के गौचर भूमि पर मकान बनाकर निवास करना अतिक्रमण की श्रेणी में आता है तथा यह भी नहीं कहा जा सकता है कि अप्रार्थीनी को सुना नहीं गया है क्योकि अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.2.17 मे अप्रार्थीनी ने स्वम उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल [illegible] अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.3.2017 को किया गया निर्णय [illegible] है।

:::: आ दे श ::::

अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.03.2017 बहाल रखा जाता है।

(बलवन्त सिंह लिग्री)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 23.07.2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिग्री)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)